# न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।
## आदेश

दाखिल खारीज अपील वाद सं0 – 34 / 2017–18

प्रथम पक्ष..........सचिता नन्द..................
**बनाम**
द्वितीय पक्ष .......गन्दुरा भोगता......

<table>
<tr><th>आदेश की क्रं0सं0 एवं तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ</th></tr>
<tr><td>3./.29</td><td>
प्रस्तुत दाखिल खारिज अपील वाद की कार्रवाई आवेदक/ आवेदकगण सचिता नन्द, पिता – स्व0 दीनबन्धु नन्द, निवासी ग्राम – कलिगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला द्वारा अंचल अधिकारी, बसिया के वाद संख्या 77 R27/2017-18 में विगत दिनांक – 08.06.2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया।
वादगत भूमि की विवरणी
<table>
<tr><th>मौजा</th><th>थाना</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th></tr>
<tr><td>कलिगा</td><td>बसिया</td><td>13</td><td>780</td><td>0.47 एकड़</td></tr>
</table>
उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।
प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव कागजात :–
अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए लिखित जवाब दाखिल किया गया है कि मौजा कलिगा स्थित खाता नं० – 13, प्लॉट नं0 – 780, कुल रकबा 0.47 एकड़ प्रथम पक्ष का खतियानी जमीन है। उपरोक्त जमीन खतियानी रैयत करूणाकर, नन्द माधो नन्द वो दीनबन्धु नन्द वल्द उसनो नन्द के नाम दर्ज है, जिसका वंशज प्रथम पक्ष के सचिता नन्द खतियानी रैयत के पुत्र हुए तथा दादा–पिता के बाद प्रारंभ से ही इनका जमीन पर दखल – कब्जा होते आ रहा है। उपरोक्त जमीन से संबंधित मामला जुनियर डिविजन । सिविल कोर्ट, गुमला के द्वारा टाईटल सूट नम्बर 67/2006, दिनांक 23.12.2018 आलोक में दिनांक – 23.12.2017 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुमला के न्यायालय में टाईटल अपील सं0
</td><td></td></tr>
</table>

– 03/2017 पंजीकृत होकर सुनवाई चल रही है जो बहस के स्टेज पर है। विपक्षी पार्टी गलत व असवैधानिक तरिके से गुप्त रूप में उक्त जमीन का मोटेशन अंचल कार्यालय, बसिया से करा लिया है, जो खारीज करने योग्य है । विपक्षी पार्टी का जवाब दिग्भ्रमित व गुमराह करने वाला है। टाईटल अपील सं० 03/2017 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुमला में फैसला होने तक उपरोक्त जनीन पर किसी तरह का आवास निर्माण या खेती–बारी द्वितीय पक्ष के द्वारा किया जाता है तो इस पर रोक लगाने का आदेश पारित करने की कृपा किया जाय ।

अतः आपसे निवेदन है कि विपक्षी के कारण पृच्छा जवाब को खारीज करते हुए प्रथम पक्ष के हित में फैसला देने की कृपा किया जाय ।

**प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।**

1

**द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव कागजात :–**

उतरवादी नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए लिखित जबाब दाखिल किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर वर्तमान अपील कानून और मामले के तथ्यों की नजर में सुनवाई योग्य नहीं है और अपील भी अधिकार क्षेत्र से परे है। अपीलकर्ता के पास इस अपील को दायर करने के लिए कार्रवाई का अधिकार और वैध कारण नहीं है। वर्तमान में अपील को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। C.P.C (सिविल प्रक्रिया संहिता) की धारा–9, 10, 12 के कानूनों ने भी वर्तमान अपील को प्रभावित किया गया है। प्रतिवादी समाज के कमजोर वर्ग एसटी का सदस्य है और उसके पास सूट भूमि के अलावा कोई अन्य भूमि नहीं है। अपील पूरी तरह से सही नहीं है। भूमि की रसीद गंदुर भोगता के नाम पर जारी की जा रही है जो प्रतिवादी द्वारा स्वीकार की जाती है। अपील के ज्ञापन की वंशावली और सामग्री को इस प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी के पिता द्वारा आर.एस. खतियान के पूर्व–विभाजन के समय भूमि निरंतर कब्जे में है। जब तक प्रतिवादी के पिता धूटू भोगता जीवित थे, कब्जे में थे और उनकी मृत्यु के बाद यह प्रतिवादी मुकदमे की जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जे में है। दिनांक 23.12.2016 और 07.01.2017 को सिविल जज, जूनियर डिवीजन गुमला की अदालत द्वारा प्रतिवादी गंदुर भोगता (तत्कालीन टीएस 67/06 में प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णय और डिग्री मामले के रूप में पारित किया गया है। टीएस 67/06 में माननीय सिविल कोर्ट द्वारा पारित उक्त निर्णय और डिग्री के आधार पर, प्रतिवादी ने अंचल अधिकारी, बसिया के समक्ष आवेदन पर याचिका दायर की और इस अपील मामले में उल्लेखित भूमि के लिए अपने नाम पर नामांतरण, शुद्धि पत्र और लगान रसीद जारी करने की प्रार्थना की। प्रतिवादी के आवेदन पर, अंचल अधिकारी, बसिया ने अंततः गंदुर भोगता (प्रतिवादी) के पक्ष में म्यूटेशन की अनुमति दी और 26.06.2017 को म्यूटेशन केस नंबर 77 R27/2017–18 के तहत शुद्धि पत्र जारी की। उक्त भूमि के लगान का भुगतान गंदुरा भोक्ता द्वारा किया जा रहा है और लगान की रसीद भी कटाई जा रही है। इनका विषय–वस्तु अस्पष्ट और आधारहीन है। अपीलकर्ता अदालत को गुमराह करने के लिए अपने लापरवाह रवैये को दर्शाता है। इस बीच बी.डी.ओ. बसिया ने गंदुर भोक्ता को धन की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है और उसके खिलाफ सर्टिफिकेट केस मामला शुरू करने के लिए कहा है। इसलिए प्रतिवादी, गंदुर

भोगता अपीलकर्ता को बिना किसी तुकबंदी और कारण के गुमराह करने के कारण मानसिक, शारीरिक और साथ ही आर्थिक पीड़ा से पीड़ित है। वर्तमान मुकदमा राजस्व का मामला नहीं है, बल्कि सिविल कोर्ट द्वारा पहले से ही तय किया गया है, फिर भी अब सिविल अपील माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, गुमला के समक्ष लंबित है।

अतः अनुरोध की जाती है कि आपके सम्मान के अनुसार अपील को खारिज करने और उस स्थगित आदेश को वापस लेने की कृपा करें जिसके द्वारा गंदुरा भोक्ता के लिए प्रधान मंत्री आवास निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इस कार्य के लिए, गंदुर भोक्ता, प्रतिवादी हमेशा आभारी रहेगा।

**द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।**

1. बण्डा पर्चा की छायाप्रति।
2. शुद्धि पत्र की छायाप्रति।
3. लगान रसीद की छायाप्रति।
4. बी0डी0ओ0 बसिया के द्वारा निर्गत नोटिस की छायाप्रति।
5. T.S. 67/06 के डीग्री की छायाप्रति।

**निष्कर्ष**

अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल खारिज, लिखित जवाब, उपस्थापित कागजातों तथा विद्वान अधिवक्ताओं के बहस के पश्चात निष्कर्ष आया है कि वादग्रत भूमि मौजा कलिगा स्थित खाता नं० – 13, प्लॉट नं0 – 780, कुल रकबा 0.47 एकड़ से संबंधित है। सिविल जज जुनियर डिविजन, गुमला टी0एस0 नं0 – 67/06 में द्वितीय पक्ष गन्दुरा भोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया गया है। इस आधार पर अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा वादग्रत भूमि का नामांतरण द्वितीय पक्ष को किया गया है। तद्नुसार शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद निर्गत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा टी0एस0 नं0 – 67/06 के विरुद्ध सिविल अपील नं0 – 03/2017 दायर किया गया है, परन्तु इस पर माननीय जिला सत्र न्यायाधीश, गुमला के न्यायालय में विचाराधीन है। अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा वादग्रत भूमि संबंध में आदेश जो कि सिविल जज, जूनियर डीविजन के पारित आदेश के आलोक में किया गया है जो सही प्रतीत होता है।

अतः यह अपील खारीज किया जाता है एवं निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा पारित नामांतरण वाद सं0 77 R27/2017-18 में विगत दिनांक – 08.06.2017 को यथावत रखा जाता है। इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बसिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2023.02.08 15:50:15 +05:30
Location: 192.168.156.239